न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2022/219

1. साबू खान पुत्र श्री यासीन खान लीलगर, उम्र–43 वर्ष, निवासी–मीठा कुँआ, अमरसर दरवाजा, शाहपुरा, जिला–जयपुर (राज.), 303103

–अपीलान्ट

बनाम

1. नगर पालिका शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.) जरिये अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त।
2. ईस्माईल खान पुत्र स्व. श्री बाबु खान
3. सलीम खान पुत्र स्व. श्री बाबु खान
   समस्त निवासीयान–अमर सर दरवाजे के पास, वार्ड नं. 09 ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर। (राज.)

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 73 राजस्थान नगर पालिका अधि0 2009 विरूद्ध पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज का पट्टा विलेख जारी किया एवं पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित–

1. श्री प्रेम प्रकाश, वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः 30.01.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 73 राजस्थान नगर पालिका अधि0 2009 के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को जारी किया के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 इस्माइल खान, सलीम खान पुत्रान स्व. श्री बाबूखान निवासी अमरसर दरवाजा के पास वार्ड नं. 09, ग्राम शाहपुरा जिला जयपुर के पास वार्ड नं. 09, ग्राम शाहपुरा, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 का क्षेत्रफल 32.08 वर्गगज का पट्टा चाहने के लिये नगर पालिका शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.) जरिये अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद विपक्षी ने दिनांक 29.10.2021 को आपत्ति आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई कि निम्नाकिंत व्यक्तियों के द्वारा कृषि भूमि नियमन/स्टेट ग्रांट एक्ट/69 (क) का पट्टा हेतु आवेदन किया है। किसी को इस बाबत आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय सबूत लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें, बाद में विचार नहीं किया जायेगा। अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को जारी किया।
3. अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट साबू खॉन पुत्र श्री यासीन खॉन द्वारा यह अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिशाषी अधिकारी/आयुक्त नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज का पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को जारी किये एवं पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस, बहस एडमिशन पर योग्य अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि असिस्टेंट सुपरीन्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ वार्डस सर्किल शाहपुरा द्वारा दिनांक 17.10.1949 को नीलामी गई। अपीलार्थी के दादा स्व. श्री अलादीन वल्द नाथू लीलगर वासी–शाहपुरा ने उक्त नीलामी में भाग लिया तथा 147 गज 9 तसु को एक 1 रूपये 6 आना प्रति वर्गगज के हिसाब से राशि जमा कर दिनांक 26.11.1949 को पट्टा नं. 84/1 संवत् 2007 में कुल राशि 200 रूपये सवा दस आना झाडशाही देकर अपीलार्थी के दादा के नाम ठिकाना ाहपुरा जयपुर द्वारा पट्टा जारी किया। अपीलार्थी के पिता यासीन खॉन ने एक ापथ पत्र दिनांक 13.071987 को पंचायत समिति शाहपुरा जयपुर को इस बाबत लिख कर दिया कि–" प्रमाणित किया जाता है कि मृतक अलादीन लीलगर निवासी शाहपुरा जयपुर के पुत्र श्री यासीन खान के अलावा और कोई वारिस नहीं है। " अपीलार्थी ने दिनांक 01.11.2021 को पट्टा पत्रावली के विरूद्ध आपत्ति प्रस्तुत कर बताया कि उक्त मकान का पट्टा अपीलार्थी के दादाजी अलादीन पुत्र श्री नाथू लीलगर के नाम से है। जिसका पट्टा संख्या 84/1 सवंत् 2007 है। अपीलार्थी ने उक्त पट्टा शुदा मकान अपने रिश्तेदारों को रहने के लिये दे रखा है परन्तु अपीलार्थी के रिश्तेदार श्री मुन्ना खान, चांद खान, फारूक पुत्र श्री घीसा ने अपने नाम से पट्टा बनवाने के लिये आवेदन किया है। जिसकी विज्ञप्ति जारी की गई। जो कि गलत है। जिस मकान का पट्टा चाहने के लिये आवेदन किया है उसका पट्टा रियासत काल से बना हुआ है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आपत्ति आमंत्रण की सूचना दिनांक 29.10.2021 को निकाली गई। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दिनांक 29.10.2021 को निकाली गई। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने के बाद उक्त पट्टे की विज्ञप्ति को विपक्षी द्वारा निरस्त कर दी गई। पूर्व में हमीदा पत्नी बाबू खान के नाम से पट्टा चाहने के लिए आवेदन किया गया उसी पत्रावली की विपक्षी द्वारा जुलाई 2022 में नये सिरे से आपत्ति आमंत्रण की सूचना प्रकाशित की गई। विपक्षी द्वारा आपत्ति आमंत्रण सूचना सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं की गई। जिसकी सूचना अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई है और ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिया गया। विपक्षी द्वारा राजस्थान नगर अधिनियम की धारा 69 (क) के तहत गैर कृषि भूमि का समर्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा नियमन–2015 के अन्तर्गत पट्टा विलेख क्र. 232 दिनांक 20.07.2022 को श्री इस्माईन खॉन, सलीम खॉन पुत्रान स्व. श्री बाबू खॉन के नाम से 32.08 वर्गगज का पट्टा नीचे हॉल के उपर बने हुए दो कमरों का जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 के विरूद्ध अपीलार्थी ने दिनांक 22.07.2022 एवं 01.11.2022 को पट्टे के विरूद्ध एवं भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने बाबत अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर दी गई। विपक्षी द्वारा जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की प्रति मांगने पर विपक्षी द्वारा अपीलार्थी को पट्टा विलेख से सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिये मना कर दिया । अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 11.10.2022 को किया गया। विपक्षी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा दिनांक 24.11.2022 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये सूचना अधिकार आवेदन की सूचना का जबाब भेजा गया जिसमें बताया गया कि – "सूचना के अधिकार के तहत श्री इस्माईल खॉन, सलीम खान पुत्रान स्व. श्री बाबू खॉन की पट्टा पत्रावली की प्रतिलिपि चाही गई उक्त सूचना दिया जाना सम्भव नही है । अपीलार्थी ने विपक्षी द्वारा भेजे गये जबाब दिनांक 24.11.2022 के क्रम में लोक सूचना अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी को सूचना नही देने का कारण अवगत करने के लिये पत्र दिनांक 25.11.2022 को अपीलार्थी द्वारा दिया गया। विपक्षी द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को वसीयत के आधार पर जारी किया गया है, वह वसीयत कूट रचित वसीयत है। जिस वसीयत के आधार पर विपक्षी द्वारा पट्टा विलेख जारी करना बताया है, वह वसीयत मुस्ममात प्यारी बनाम घीसा के नाम से कूट रचित वसीयत तैयार की गई है। जिसमें किस भूखण्ड की तथा कितने वर्गगज की वसीयत लिखी गई है। उसमें कोई उल्लेख नही किया गया है। वह वसीयत दिनांक 13.11.1975 को मुस्ममात प्यारी बनाम घीसा के नाम से कूट रचित वसीयत तैयार की है तथा विपक्षी ने जिसके नाम से पट्टा विलेख जारी किया है उस वसीयत में उनका कोई उल्लेख नही किया गया है तथा उस वसीयत में ईस्माइल दरबार के हस्ताक्षर किये गये है। जबकि इस्माईल खॉन, सलीम खान पुत्रान स्व. श्री बाबू खॉन का जन्म ही नही हुआ था। विपक्षी एवं इस्माईल खॉन, सलीम खॉन पुत्रान स्व. श्री बाबू खॉन ने मिली भगत करते हुये अपीलार्थी के प्रति दूर्भावना पूर्ण आशय रखते हुये पट्टा विलेख जारी किया है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार एवं दिनांक 21.04.2022 को आदेश (69–अ बाबत) अभियान शहर 2021 के अन्तर्गत 69 (अ) के तहत फ्री होल्ड पट्टा देने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिये आदेश जारी किये जाते है– विपक्षी द्वारा जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को पारित करने से पूर्व नगरीय विकास आवासन नियमों एवं बिना मौका स्थिति देखे तथा बिना दस्तावेजों का सही ढंग से अवलोकन किये बगैर जो पट्टा विलेख जारी किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमायी जाकर नगरपालिका शाहपुरा जयपुर द्वारा जारी किये गये पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश पारित करे। उपरोक्त उल्लेखित पट्टा विलेख दिनांक 22.07.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर भी विपक्षी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई। अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार के तहत पट्टा विलेख की प्रति प्राप्त करने के लिये आवेदन करने के बाद भी अप्रार्थी/विपक्षी द्वारा के पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नही करवाई गई तथा अप्रार्थी/विपक्षी द्वारा सूचना अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने के कारण प्रार्थी/अपीलार्थी को जानकारी दिनांक 24.11.2022 को दी गई। प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रमाणित प्रतिलिपि उप पंजीयक प. मू. वि. शाहपुरा जयपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया तब जाकर प्रार्थी/अपीलार्थी को दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 की जानकारी माह सितम्बर 2022 में हुई उसके बाद उपपंजीयक महोदय शाहपुरा जयपुर के समक्ष आवेदन करने के उपरान्त दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई उसके बाद स्वायत्त शासन निकाय विभाग जयपुर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जयपुर तथा जिला कलेक्टर महोदय जयपुर को पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 को निरस्त करने की कार्यवाही बाबत शिकायत प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा भेजी गई। पट्टा विलेख दिनांक 20.07.2022 की प्रमाणित प्रति प्राप्त होते ही प्रार्थी/अपीलार्थी ने बिना देरी किये साबू खान प्रार्थी/अपीलार्थी ने जयपुर में आकर अधिवक्ता से सम्पर्क कर बिना विलम्ब किये माननीय न्यायालय के समक्ष

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील प्रस्तुत कर दी गई है। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब का सदभाविक कारण रहा है तथा इसके पीछे प्रार्थी/अपीलार्थी का कोई दुर आशय नही है। ऐसी स्थिति में यदि अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा नही कर अपील का निर्णय गुणा व गुण के आधार पर नही किया जाता है तो इसमे प्रार्थी/अपीलार्थी को भारी अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई संभव नही है। अतः विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये विलम्ब प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने के आदेश पारित करे ।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश व पत्रादि के अवलोकन से जाहिर होता है कि आयुक्त नगरपालिका शाहपुरा, जयपुर ने खसरा नं. 3456 में 32.08 वर्गगज पट्टा विलेख के सम्बन्ध में जारी अपीलाधीन आदेश 20.07.2022 में पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा आयुक्त,नगरपालिका द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश 20.07.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 29.03.2023 को अपील लगभग 8 माह बाद प्रस्तुत की गयी है। अपीलान्ट का यह कथन है कि एकतरफा आदेश पारित करवाया था, जिससे अपीलान्ट को योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानकारी नही हो पाई। सर्वप्रथम उक्त निर्णय की जानकारी सितम्बर 2022 में हुई। उसके बाद उप पंजीयक शाहपुरा जयपुर के समक्ष आवेदन करने के उपरान्त दिनांक 04.10.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र दफा 5 के सम्बन्ध में अपील देरी से पेश करने का कारण सन्तोषपद्र प्रतीत नहीं होता है कि उसे आयुक्त, नगर पालिका शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.07.2022 की जानकारी नहीं थी। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में लगभग 8 माह के विलम्ब का ठोस कारण सन्तोषपद्र नहीं दिया गया है। जिसके कारण अपील करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, नगर पालिका शाहपुरा जिला जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20.07.2022 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर